निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1325) पटना, वृहस्पतिवार, 7 अगस्त 2025

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
5 अगस्त 2025

सं० 10/अग्नि0से0–01–05/2025गृ0आ0 10146––भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा–63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021'' में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–(1) यह नियमावली "बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम–15 में संशोधन।–

(1) नियम–15 के उपनियम (क) के कंडिका–(vii) के बाद निम्नलिखित कंडिका–(viii) जोड़ी जाएगी :–

''(viii) बिहार राज्य अन्तर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत् एलिवेटेड/अण्डरग्राउण्ड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डिपो निर्माण आदि।''

(2) नियम–15 के उपनियम (च) के कंडिका–(i) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''भवन/**मेट्रो रेल निर्माण परियोजना** के स्वामी/**प्रोजेक्ट के संबंधित प्राधिकार** को भवन निर्माण विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार में सूचीबद्ध वास्तुविद्/अभियंता के माध्यम् से भवन निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र (प्रपत्र–'ख') भवन योजना से संबंधित नक्शा, विहित चेकलिस्ट (प्रपत्र–'ग'), **बिहार राज्य में मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के अन्तर्गत एलिवेटेड/भूमिगत मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, डिपो निर्माण आदि के लिए निर्धारित चेक लिस्ट प्रपत्र–'ग–1',** राष्ट्रीय भवन संहिता–2016, समय–समय पर यथासंशोधित बिहार भवन उपविधि, 2014 समय–समय पर यथासंशोधित एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने, अग्नि सुरक्षा प्रणाली एवं उपकरण में व्यय का गारंटी आदि संबंधी अन्डरटेकिंग्स (प्रपत्र–'घ') एवं

निर्धारित शुल्क सहित निदेशक अथवा तत्समय प्राधिकृत पदाधिकारी के पदनाम से तत्समय प्रक्रियानुसार समर्पित करना होगा।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

5 अगस्त 2025

सं० 10 / अग्नि0से0–01–05 / 2025 गृ0आ0 10147 / अधिसूचना संख्या 10146, दिनांक 05.08.2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

The 5th August 2025

No. 10/Agni0Se0-01-05/2025-H.P. 10146--In exercise of Powers Conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India and section 63 of the Bihar Fire Service Act, 2014 (Bihar Act 6, 2014), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Fire Service Rules, 2021" :-

1. Short title, extent and commencement.– (1) These rules may be called the "Bihar Fire Service (Amendment) Rules, 2025."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Rule-15 of the Bihar Fire Service Rules, 2021.–

(1) The following clause (viii) shall be added after clause (vii) of Sub rule (a) of Rule 15 :-

"(viii) For construction of elevated/underground metro railway station, platform, depot etc. under Metro Rail Construction Project in the State of Bihar."

(2) Clause (i) of sub rule (f) of Rule-15 shall be substituted as follows :-

"(i) Before starting the construction of the building/'**Metro Rail Construction Project',** the building owner/**'concerned authority of the project'** will have to submit, to the Director or the authorized officer addressed by the post name, according to the procedure for the time being in force, an application in prescribed format (Form-B), through the architect/engineer enrolled in the Building Construction Department or local authority along with the map related to the building plan, prescribed check list (Form-'C'), **prescribed check list (Form-M-1) for elevated/ underground metro railway station, platform, depot etc under Metro Rail Construction Project in the State of Bihar,** undertakings regarding compliance of provisions National Building Code-2016 as amended from time to time Bihar Building Bye-laws-2014 as amended from time to time and other rules for the time being in force, guarantee of expenditure in fire safety system and equipment (Form-'D') and the prescribed fee."

By order of Bihar Governor,
Indu Bhushan Singh,
Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1325-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in